इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2011—भाद्र 25, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. डी-15-18-11-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में उन संशोधनों को जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में संशोधन करती है.

उक्त नियम में,—

(1) नियम 9 के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नानुसार नियम अन्तः स्थापित किया जाये अर्थात् :—

संशोधन

(च) **निविदा का प्रदाय**—निविदा प्रपत्र का क्रय एवं निविदा में केवल ''केन्द्रीय ई-रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रानिक प्रणाली के अन्तर्गत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों को ही भाग लेने की पात्रता रहेगी''. ठेकेदारों के निविदा के संबंध में वांछित आवश्यक अभिलेख संबंधी शेष प्रावधान पूर्व नियम अनुसार यथावत् रहेंगे.

(च-एक) **निविदा प्राप्ति पद्धति**—ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया से मुक्त रु. 20.00 लाख लागत तक की निविदाएं रजिस्टर्ड पोस्ट, व्यक्तिगत रूप से परिदान एवं स्पीट पोस्ट से प्राप्त की जा सकती है. कोरियर सर्विस से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं की जावेगी. निविदा आमंत्रण के दिनांक को निर्धरित समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी. विलंब से प्राप्त निविदाओं को आवक रजिस्टर में प्रविष्टि कर निविदाकार को वापिस किया जावेगा तथा रु. 20.00 लाख लागत से अधिक की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से आमंत्रित की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2011

क्र. डी-15-18-11-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2011

No. D-15-18-11-XIV-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000 which the State Government propose to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000 in exercise fo the powers conferred by clause (XXI) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is here by published.

In said rule,—

(1) In place of rule 9, clause (e) the following sub clause (C) shall be substituted, namely :—

AMENDMENT

(C) **Supply of tender—**Purchase of tender documents and participation in tender shall only be allowed to those registered contractors who have registered under Central E-Registration Electronic System approved by the ENC, Public Works Department, Bhopal. The rules regarding providing necessary information pertaining to tender documents to the contractors shall remain same as per earlier rules.

(C-1) **Acceptance of Tender Documents—**Tenders worth up to Rs. 20.00 lacs shall be accepted by registered post, delivered by person and by speed post. Tenders sent by courier shall not be accepted. No tenders will be accepted after the due date and time of acceptance of the tender. Tenders received after due date shall be returned to the concerned bidders after entering the same into the inward register. Tenders above Rs. 20.00 lacs shall be invited by E-tendering procedure.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2011.